समाहरणालय मुजफ्फरपुर

(जिला सामान्य प्रशाखा)

****

दूरभाष संख्या : 0621-2212101 [का.]
0621-2212105 [आ.] 2217285 [फै.]
E-mail : dm-muzaffarpur.bih@nic.in

आलोक रंजन घोष, भा0प्र0से0, जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर के अध्यक्षता में, पेट्रोल पम्प खोलने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में दिनांक–01.03.2019 को बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति : पंजी के अनुसार ।

कार्यवाही : दिनांक–25.02.2019 को पेट्रोल पम्प खोलने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में आयोजित बैठक में कुल 06 (छः) प्रस्तावों पर अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया। मौजा तुर्की खरारू, थाना+अंचल–मीनापुर, थाना नं0–559, जिला मुजफ्फरपुर में BPCL, HPCL एवं IOCL से प्राप्त प्रस्ताव के विवादित रहने के कारण आज की बैठक दिनांक 01.03.2019 मे उक्त पर विचार करने हेतु सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था।

आज दिनांक 01.03.2019 को 3:30 बजे अपराह्न मे तुर्की खरारू, अंचल–मीनापुर में किसान सेवाकेन्द्र रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) खोलने हेतु IOCL, BPCL एवं HPCL के प्रस्ताव पर अनापत्ति निर्गत करने हेतु प्राप्त प्रस्ताव के संबंध मे कार्यालय उपलब्ध संचिका, संचिका में संलग्न कागजातों एवं अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन किया गया। प्रतिवेदन निम्नवत् है :–

क्र0	कम्पनी का नाम	स्थल	उपलब्ध दस्तावेज	प्राप्त प्रतिवेदन	मंतव्य
1.	IOCL	मौजा तुर्की खरारू, थाना मीनापुर, थाना न0 559, खेसरा नं0 2543(पी) खाता नं0 1644 अंचल मीनापुर, जिला– मुजफ्फरपुर।	1. वरीय पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरपुर – प्राप्त। 2. कार्यपालक अभियन्ता पथ निर्माण प्रमण्डल पथ संख्या–2, मुजफ्फरपुर – प्राप्त। 3. कार्यपालक अभियन्ता, भवन प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर– प्राप्त। 4. अग्निशमालय पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर – प्राप्त। 5. अंचल अधिकारी, मीनापुर– प्राप्त।	व0पु0अधीक्षक, मुज0, कार्य0अभि0, भवन प्रमंडल, जिला अग्निशमन, अंचल अधिकारी, मीनापुर अनु0प0दा0,पूर्वी भूमि समपरिवर्तन, मु0स0 उप समाहर्त्ता का प्रतिवेदन, तथा कार्य0अभि0, पथ प्र0 मुज0–2 एवं मुख्य अभियन्ता, पथ नि0 वि0, पटना का प्रतिवेदन सभी यथोचित कार्यालयों से अनापत्ति प्राप्त।	पूर्व में IOCL के प्रस्ताव को भूमि का माप कम होने के कारण अभियन्ता प्रमुख सह अपर आयुक्त सह विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 385(I:) दिनांक 24.01.2017 के द्वारा अस्वीकृत किया गया था। मुख्य अभियन्ता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–4554, दिनांक–04.07.2018 द्वारा BPCL के अभ्यर्थी का पूर्व में निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र संख्या–500 दिनांक 16.02.2018 को इस आधार पर निरस्त किया गया है कि IOCL के अभ्यर्थी को LOI पहले निर्गत है। इस संबंध में विधि परामर्शी, विधि विभाग, बिहार, पटना से सहमति प्राप्त होने का उल्लेख मुख्य अभियंता, यातायात उत्तर विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–2268, दिनांक 05.07.2018 में किया गया है। BPCL के प्रस्ताव एवं IOCL के प्रस्ताव के बीच की दूरी न्यूनतम मानक 300मीटर से कम (162 मीटर) होने के कारण BPCL के प्रस्ताव को मुख्य अभियन्ता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा BPCL के अभ्यर्थी को पूर्व में निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र 500 दिनांक 16.02.2018 को इस आधार पर निरस्त किया गया है।

					विदित हो कि IOCL के LOI प्राप्तकर्त्ता श्री उमेश राम को अभियंता प्रमुख सह विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–385(E), दिनांक 24.01.2017 द्वारा भूमि मापक से कम होने के कारण प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया था। पुनः मुख्य अभियंता, यातायात उत्तर विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 2405, दिनांक 18.07.2018 द्वारा अनापत्ति निर्गत की गई, साथ ही BPCL के LOI प्राप्तकर्त्ता श्री अंजीत पाण्डेय को मुख्य अभियंता, यातायात उत्तर विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–500, दिनांक 16.02.2018 द्वारा अनापत्ति निर्गत किया गया था, जिसे पत्रांक 2256 दिनांक 05.07.2018 के द्वारा विधि विभाग से प्राप्त परामर्श " If all the papers are in order then preference may be given to the candidate who has first been issued LOI " के आधार पर BPCL के प्रस्ताव पर निर्गत NOC को IOCL के प्रस्ताव से बीच की दूरी न्यूनतम मानक 300 मीटर से कम (162 मीटर) होने के कारण रद्द किया गया। उक्त पत्र में पूर्व के पत्रांक 500 दिनांक 16.02.2018 द्वारा निर्गत NOC रद्द करने का उल्लेख है। IOCL के LOI प्राप्तकर्त्ता श्री उमेश राम के विरूद्ध प्राप्त परिवाद पर वरीय पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर से कार्यालय पत्रांक 32(मु0)/सा0, दिनांक 26.02.2019 द्वारा जांच प्रतिवेदन की मांग की गई । वरीय पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर के पत्रांक 120/शस्त्र दिनांक 01.03.2019 से प्रतिवेदित किया गया है कि श्री उमेश राम के पिता सेवानिवृत्त कर्मचारी है तथा इंडियन ऑयल पेट्रोल पम्प जो आरक्षित वर्ग के लिए आवंटित है के लिए आवेदक द्वारा खाता से राशि का भुगतान किया गया है एवं आवेदक के विरूद्ध थाना अभिलेख में किसी भी प्रकार का प्रतिकूल टिप्पणी अंकित नही है।
2	BPCL	मौजा तुर्की खरारू, थाना मीनापुर, थाना नं0 559, खेसरा नं0 2551, 2552 ,खाता नं0 562 अंचल मीनापुर,मुजफ्फरपुर।	1. वरीय पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर – प्राप्त। 2. कार्यपालक अभियन्ता पथ निर्माण प्रमण्डल पथ संख्या–2, मुजफ्फरपुर – प्राप्त। 3. कार्यपालक अभियन्ता, भवन	व0पु0अधीक्षक, मुज0, कार्य0अभि0, भवन प्रमंडल, जिला अग्निशमन, अंचल अधिकारी, मीनापुर, अनु0पदा0,पूर्वी भूमि समपरिवर्त्तन, तथा कार्य0अभि0, पथ प्र0 मुज0–2 एवं मुख्य अभियन्ता, पथ नि0 वि0,	मुख्य अभियन्ता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा BPCL के अभ्यर्थी को पूर्व में निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र 500 दिनांक 16.02.2018 को इस आधार पर निरस्त किया गया है कि उन्हें BPCL के द्वारा IOCL के अभ्यर्थी के पश्चात LOI निर्गत किया गया है। मुख्य अभियन्ता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा पूर्व में निर्गत अनापत्ति को मुख्य अभियंता, यातायात उत्तर विभाग, बिहार, पटना के

			प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर– प्राप्त। 4. अग्निशामालय पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर – प्राप्त। 5. अंचल अधिकारी, मीनापुर– प्राप्त।	पटना का प्रतिवेदन प्राप्त। मुख्य अभियन्ता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा BPCL के अभ्यर्थी को पूर्व में निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र 500 दिनांक 16.02.2018 को मुख्य अभियंता, यातायात उत्तर विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–2268, दिनांक 05.07.2018 द्वारा रद्द किया गया है।	पत्रांक–2268, दिनांक 05.07.2018 द्वारा रद्द किया गया है। आवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में निरस्त किये गये आदेश के विरूद्ध CWJC-15118/2018 वाद दायर किया गया है। मामला माननीय उच्च न्यायालय, पटना में विचाराधीन है। CWJC वाद सं0–15118/2018 में वर्त्तमान में कोई आदेश इस कार्यालय को प्राप्त नहीं है। BPCL के आवेदक श्री अंजीत कुमार पाण्डेय के द्वारा IOCL के विज्ञापन के स्थल मसुराडीह के संबंध में आवेदन दिया गया कि मीनापुर प्रखण्ड में मुसुराडीह नामक कोई जगह नहीं है। इस संबंध में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पूर्वी से जांच प्रतिवेदन की मांग की गई। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पूर्वी नें अपने प्रतिवेदन के द्वारा प्रतिवेदित किया है कि मीनापुर अंचल के तुर्की खरारू पंचायत में मथुराहीह एक टोला है, जिसे अपभ्रंश रूप में मसुराडीह कहा जाता है।
3	HPCL	मौजा तुर्की खरारू, थाना मीनापुर, थाना नं0 559, खेसरा नं0 2882, 2885 ,खाता नं0 1533 अंचल मीनापुर,मुजफ्फरपुर।	1. वरीय पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर – प्राप्त। 2. कार्यपालक अभियन्ता पथ निर्माण प्रमण्डल पथ संख्या–2, मुजफ्फरपुर – अप्राप्त। 3. कार्यपालक अभियन्ता, भवन प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर– प्राप्त। 4. अग्निशामालय पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर – प्राप्त। 5. अंचल अधिकारी, मीनापुर– प्राप्त।	व0पु0अधीक्षक, मुज0, कार्य0अभि0, भवन प्रमंडल, जिला अग्निशमन, अंचल अधिकारी, मीनापुर से प्राप्त। पथ निर्माण विभाग से प्रतिवेदन अप्राप्त।	कार्य0अभि0 पथ प्रमण्डल संख्या–2, मुजफ्फरपुर द्वारा प्लाट का साईज 35MX35M से कम रहने के कारण अनापत्ति पत्र निर्गत नहीं किया गया है। जिसके विरूद्ध आवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना में CWJC-7298/2018 वाद दायर किया गया है जिसमें दिनांक–24.08.2018 को माननीय न्यायालय द्वारा अभियन्ता प्रमुख सह अपर आयुक्त सह विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को NIT के विज्ञापन के समय निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप आदेश के प्राप्ति के 06 सप्ताह के अन्दर निर्णय लेने का निदेश दिया गया है। विभाग से निदेश अप्राप्त है। उपर्युक्त वर्णित प्रतिवेदन में संलग्न अनापत्ति प्रमाण पत्रों एवं IOCL. HPCL तथा BPCL के LOI प्राप्त अभ्यर्थियों द्वारा बैठक में प्रस्तुत कागजातों से प्रतीत होता है कि HPCL के LOI प्राप्तकर्त्ता श्री दीनबन्धु कुमार के द्वारा दायर CWJC संख्या–7298/2018 में दिनांक 24.08.2018 को पारित आदेश में माननीय उच्च न्यायालय ने अभियंता प्रमुख सह विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को HPCL द्वारा निर्गत NIT के समय मान्य आधारों पर रीटकर्त्ता के आवेदन का निष्पादन का निदेश दिया है।

निष्कर्ष :- संचिका में वर्तमान में संलग्न अनापत्ति प्रमाण पत्रों के आधार पर IOCL के प्रस्ताव पर जिसमें पथ निर्माण विभाग का अनापत्ति भी शामिल है के आलोक में मौजा तुर्की खरारू, थाना मीनापुर, थाना नं0 559, खेसरा नं0 2543(पी) खाता नं0-1644 अंचल मीनापुर, जिला-मुजफ्फरपुर को अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। साथ ही BPCL एवं HPCL के प्रस्ताव को पथ निर्माण विभाग द्वारा निरस्त किया गया है एवं दोनों कम्पनी के आवेदक के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में पथ निर्माण विभाग के आदेश के विरूद्ध रीट दायर किया गया है।

अतः BPCL एवं HPCL के प्रस्ताव पर समस्त अनापत्ति प्राप्त होने या माननीय उच्च न्यायालय में दायर वादों के संबंध में माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय प्राप्त होने के उपरान्त उक्त के संबंध में अग्रेतर निर्णय लिये जाने पर समिति की सहमति बनी।

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

1/3/19
अंचल अधिकारी,
मीनापुर।

01/03/19
जिला अग्निशमन पदाधिकारी
मुजफ्फरपुर।

1/3/19
कार्य0अभि0, पथ निर्माण विभाग-2,
मुजफ्फरपुर।

1/3/19
कार्य0अभि0, पथ निर्माण विभाग-2
मुजफ्फरपुर।

1/3/19
कार्य0अभि0, भवन प्रमण्डल,
मुजफ्फरपुर।

क्षेत्रीय प्रबंधक, HPCL

01.03.19
क्षेत्रीय प्रबंधक, BPCL

01.03.19
क्षेत्रीय प्रबंधक, IOCL

01/3/19
अनुमण्डल पदाधिकारी,
पूर्वी, मुजफ्फरपुर।

01/03/19
अनुमण्डल पदाधिकारी,
पश्चिमी, मुजफ्फरपुर।

1/3
वरीय उप समाहर्ता प्रभारी,
जिला सामान्य प्रशाखा,
मुजफ्फरपुर।

01/3/19
वरीय प्रभारी पदाधिकारी
जिला सामान्य प्रशाखा-सह-
अपर समाहर्ता (आ0प्र0)
मुजफ्फरपुर।

1/3/19
जिलाधिकारी,
मुजफ्फरपुर।

ज्ञापांक 309 / दिनांक 6/3/19

प्रतिलिपि — सभी सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3/3
वरीय उप समाहर्ता प्रभारी
जिला सामान्य प्रशाखा
मुजफ्फरपुर
6/3/19